22.12.25 पत्रावली आज वादी संख्या 2 के तलबी प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत हुई। वादी संख्या 2 उपस्थित। उनकी पहचान उनके वकील श्री अरुण कुमार उत्रेती ने की। वकील वादी संख्या 2 ने उसकी ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 CPC प्रस्तुत किया और दावा नहीं चलाने एवं अनुतोष अब नहीं करना चाहते हैं का कथन किया एवं दावा इसी स्तर पर खारिज कराना चाहते हैं। वकील काउन्टर क्लेम संख्या 2 की ओर से उनके वकील निशांत भारद्वाज ने काउन्टर क्लेम नोटपेस किया। दावा के वादीगण द्वारा अपना दावा विड्रो करने का निवेदन किया है और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उनके वकील ने काउन्टर क्लेम नोटपेस किया है।

Counter Claim
D
No Dy. Counter Claim

प्रार्थना पत्र 023 R1 CPC के प्रावधानों के अन्तर्गत दावा किसी भी स्तर पर वादीगण द्वारा वापिस लिया जा सकता है अतः वादीगण को दावा विड्रो की अनुमति दी जाती है। दावा वादीगण विड्रो के आधार पर एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2 नोटपेस के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
[illegible] (राज0)